

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सीक
 (पीठासीन अधिकारी लॉक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प काली

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुर्लसी" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खरग व नूजनि खरग को रिपोर्ट तथा तहसीलदार सीक चायव तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कालीघाटी तहसील सीक व जिला काली की जमाबन्दी सम्बन्ध 2077 में खाता संख्या 40, 41, 124, 128 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कालीघाटी	40	सीता देवी पति	सीता पति स्व. नाथ सिंह
		41	स्व. नाथ सिंह	do
		124	do	do
		128	do	do

(for)
 सहायक पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी सीक
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 जिला-राजसमन्द

दिनांक :- 17/10/2025

क्रमांक :- 125/353

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सीक को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री माता सीता देवी पति स्व. नाथ सिंह को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(for)
 सहायक पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी सीक
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 जिला-राजसमन्द